न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 134 / 2025(GCMS 2025/523)
(RTI No. 212293153587011)

श्री जंगीर सिंह पुत्र श्री फरीराराम निवारी 8 बीजीएस, बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 97722—98752)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

06.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जगीर सिंह आज स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2025 से तहत उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री जंगीर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

Jangir Singh son of Fakira Ram ko 2000 rs राशि का भुगतान Voucher No. 120 दिनांक 12.01.2000 में जरिए चैक संख्या 587011 के माध्यम से किया गया था, जिसका संपूर्ण रिकॉर्ड प्रार्थी को उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्र क्रमांक आरटीआई / 26 / 117 दिनांक 06.02.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि अपील लोक सूचना अधिकार अधि. सं. 134 / 2025 जंगीर सिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के तहत आप द्वारा चाही गई सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर से ... होने के कारण सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति ... प्राप्त की गई।   अतः उक्त सूचना पत्र के साथ संलग्न कर, ... मानजी की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:49 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 134 / 2025
(GCMS No. 2025/523)
(RTI No. :21229315358701l)
जंगीर सिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपीलार्थी की अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सम्बन्धित न होकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर से सम्बन्धित है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्य प्राधिकारी से सम्बन्धित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित करना चाहिए था। जबकि **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)** निम्नानुसार अवलोकनीय है:

6(3) Where an application is made to a public authority requesting for an information,- (i) which is held by another public authority; or (ii) the subject matter of which is more closely connected with the functions of **another public authority,** the public authority, to which such application is made, shall **transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer**: • Provided that the transfer of an application pursuant to this sub-section shall be made as soon as **practicable but in no case later than five days from the date of receipt** of the application.

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित नहीं की है इसलिए उसने विकास अधिकारी पंचायत समिति, सादुलशहर से जवाब प्राप्त कर, अपील का जवाब भिजवा है, परन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के द्वारा अपीलार्थी को [illegible] जवाब दिया जाना प्रतीत नहीं होता है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम [illegible] की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:54 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 134 / 2025
(GCMS No. 2025/523)
(RTI No. :212293153587011)
जंगीर सिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया हो, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा प्रार्थना पत्र का प्रार्थी को कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा वांछित सूचना, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर से अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित प्राप्त कर, अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2026 को [illegible] **लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:49 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर